शोध मंथन Vol. XI No.III July-Sept. 2020 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 7.760 (SJIF)

भारत में बाल विवाह के कारण एवं रोकने के उपाय तथा कानून की भूमिका

सुमन कुमार
शोध छात्र, एस.डी. (पी.जी.) कॉलिज, गाजियाबाद
चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत
Email: suman1041984@gmail.com

सारांश

प्रत्येक समाज या समुदाय की अपनी सामूहिक चेतना होती है। रिश्तेदारी, निकट संपर्क के संबंध दूर के सामाजिक संबंध, श्रम विभाजन के संबंध आदि से यह भावना विकसित होती है। चेतना की अभिव्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधित्व करती है। सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष होता है जो किसी विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। यह सामाजिक चेतना से संबंधित होता है इसका निरीक्षण भी किया जा सकता है।

प्रस्तावना

प्रत्येक समाज वहाँ के राष्ट्र की संस्कृति सभ्यता परम्पराएँ, रीतियाँ, लोकाचार आदि का परिचायक होता है। समाज ही वह इकाई है जिससे राष्ट्र की प्रगति के नये सोपान प्राप्त किये जाते हैं। विविध समाजों के एकत्रीकरण से उनकी मान्याताओं का हस्तांतरण होता है, तथा ये विचार आपस में संप्रेषित होकर अपने–अपने अस्तित्व की अक्षुण्णता को बनाये रखने के लिये अपने धरोहर रूपी संस्कारों को निरंतर प्रवाहमान बनाये रखने हेतु प्रत्यत्नशील रहते हैं।

फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाज शास्त्री ईमाइल दुर्खीम (1858–1917) के सिद्धांतों के अनुसार– प्रत्येक समाज के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि वह अपने अस्तित्व को बनाये रखे इसीलिये वह परम्पराओं, रीति रिवाजों, त्यौहारों, शिक्षा, कानून आदि अनेक साधनों तथा उपायों से यह प्रयास करता है कि उसकी निरंतरता बनी रहे। कोई भी समाज स्वयं को नष्ट करने की बात नहीं सोच सकता। प्रत्येक समाज या समुदाय की अपनी सामूहिक चेतना होती है। रिश्तेदारी, निकट संपर्क के संबंध दूर के सामाजिक संबंध, श्रम विभाजन के संबंध आदि से यह भावना विकसित होती है। चेतना की अभिव्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधित्व करती है। सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष होता है जो किसी विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। यह सामाजिक चेतना से संबंधित होता है इसका निरीक्षण भी किया जा सकता है।

भारत के समाज को बंद एवं परंपरावादी समाज कहा जाता है। यहाँ की अपनी विशिष्ट परंपराएँ, रूढ़िया है, जिससे इसने अपने आपको एक विशाल संस्कृति के पोषक, संवाहक के रूप

में स्थापित किया है। कई रीतियाँ बहुत प्रारंभ से ही अस्तित्व में हैं, जिनका आधार प्राचीन समय में क्या और कैसे स्वीकार किया गया इसका इतिहास सर्वविदित है किंतु इन परंपराओं में से कुछ परंपराएँ वर्तमान विकसित दृष्टि से कुरीतियों की पंक्ति में स्वीकारी गयी है जिनमें सतीप्रथा, बाल विवाह प्रमुख हैं। सतीप्रथा जैसी सामाजिक कुरीति, सामाजिक बुराई के लिये जो तर्क एवं चिंतन पहले के भारतीय समाज में था वह अब अत्याधिक न्यून या शून्य है। सभी समाजों में अब इस प्रथा के प्रति स्वीकारोक्ति नहीं है लेकिन बालविवाह अर्थात कम आयु में बालक–बालिकाओं को विवाह बंधन में बाँधना अभी सभी समाजो ने प्रगत दृष्टि से देखना प्रारंभ नहीं किया है। कई कई समाज जहाँ शिक्षा का आलोक प्रसारित नहीं है तथा कुछ शिक्षित क्षेत्रों में भी इस प्रथा को मान्यता प्राप्त है। वस्तुतः बाल विवाह का प्रावधान जिन आधारो पर पुराने समय में मान्य किया होगा वे इस प्रकार है –

- प्राचीन समय में पश्चिमी–विदेशी संस्कृति का भारतीय समाज में हस्तक्षेप था (चूँकि भारत पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण था) और विदेशी संस्कृति भारतीय परिवेश को परिवर्तित ना करे, समाज की बालिकाएँ, स्त्रियाँ प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित रहे इस हेतु बालिकाओं का कम आयु में विवाह कर उसकी जिम्मेदारी एक और परिवार को सौंप दी जाती थी।
- भारतीय समाज में कन्यादान करने का अर्थ संपूर्ण मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक करना माना गया है। बालिकाओं के मासिक धर्म प्रारम्भ होने के पूर्व उसका पाणिग्रहण संस्कार करवा देने को ही शास्त्रों में वास्तविक कन्यादान माना गया है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखा जाता था।
- भारतीय समाज में संयुक्त एवं बड़े परिवारों की संकल्पना को साकार करने के विचार से परिवार को शीघ्रता से विस्तार देना होता था अतः कम आयु में विवाह संपन्न करवा दिये जाते थे।
- भारतीय समाज में प्रारंभ से परिवारों में नैतिक विकास को, चरित्रिक विकास को महत्वपूर्ण स्वीकारा गया। नैतिकता एवं चारित्रिक गुणों का हनन ना हो इसलिये भी बालक–बालिकाओं का कम आयु में विवाह धरोहर माना जाता था।
- प्राचीन भारतीय समाजों में लिंग भेद एक बहुत बड़ा सच था जहाँ बालिकाओं को परिवार का हिस्सा, अंग ना मानकर दूसरे परिवार की धरोहर माना जाता था।

पुरातन भारतीय सभ्यता में समाज के अस्तित्व उसकी पहचान के लिये कई मान्यताएँ स्वीकारी गयी। अंग्रेजों की परतंत्रता के चलते भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विनाश, इसकी अर्थव्यवस्था का विनाश तथा इसकी सामाजिक पद्धति और संस्कृति पर विदेशी आक्रमण ने इस भारत को न केवल राजनैतिक परतंत्रता के बंधन में बाँध दिया बल्कि इस देश को पश्चिम का आर्थिक उपनिवेश और सांस्कृतिक प्रांत बना दिया। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ के दशकों में धार्मिक सुधार प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सुधार का अर्थ था धर्म के प्राचीन स्त्रोत की ओर लौटा जाये और बहुत से सुधारकों के प्रयासों ने फन पुनरूद्धार का रूप ले लिया।

भारतीय नवोत्थान का एक प्रधान लक्षण अतीत की गहराईयों का अनुसंधान था। नवोत्थान का दूसरा प्रधान लक्षण निवृत्ति का त्याग था और प्रवृत्ति को स्वीकारना था। राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, ईश्वरचन्द विद्यासागर, देवेन्द्रनाथ टैगोर, महादेव गोविन्द रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, महर्षि कार्वे आदि जैसे समाज सुधारकों के कारण राष्ट्र कुप्रथाओं के त्याग की प्रवृत्ति पर आधारित दिखने लगा जिससे भारतीय पुनर्जागरण एवं भारतीय विचारधारा के विकास की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन परिलक्षित होने लगा। क्योंकि मान्यताएँ यदि मूल्यों पर बनती तो वे व्यवहार संगत होती हैं। जब अपने अनुभव और व्यवहार पर मान्यताएँ नहीं बनती हो वे शोषणकारी हो सकती है।

भारत में बाल विवाह जैसी कुप्रथा आज भी अपनी अस्तित्व को रेखांकित करती है। कानून इसके विरोध में बने हैं परंतु फिर भी आज के संदर्भ के कई कारण बाल विवाह हेतु परिलक्षित होते हैं –

- अनादिकाल से चली आ रही एक प्रथा है जिसको आज की सामाजिक मान्यता है। शिक्षा, गरीबी एवं अंधविश्वास के तहत कई समाजों में मान्यता है कि कुंवारी कन्या का पाणिग्रहण करने से पुण्य प्राप्त होता है।
- अशिक्षित एवं गरीब अभिभावक बेटी का विवाह शीघ्रता से कर सामाजिक दायित्व से निवृत्त होने की भावना रखते हैं।
- माता–पिता दोनों के काम पर जाने के पश्चात् घर पर किशोरी लड़की के अकेले रहने की स्थिति में अभिभावक लड़की को असुरक्षित महसूस करते हैं जिसके कारण से भी बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है।
- कई समाजों में बच्चों का विवाह समाज में परिवार का प्रतिष्ठा का घोतक होता है। लैंगिक भेदभाव के चलते लड़की को परिवार में बोझ समझा जाता है इस कारण से भी लड़की का कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है।
- कई बार विवाह आयोजन का खर्च बचाने के लिए एक ही मंडप में दो शादियाँ कर दी जाती है जो कि बाल विवाह का कारण बनती है।
- बेटी तो पराया धन है, यह भावना भी बाल विवाह का कारण बनती है। समाज में जनमानस की भावनाओं की दृढ़ता के चलते बाल विवाह के निम्न परिणाम हाते हैं –
- वर वधू दोनों शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अकुशल रह जाते हैं जिससे उनको अच्छे रोजगार पाने के अवसर प्राप्त नहीं होने से आर्थिक रूप से स्वतंत्र की संभावना कम होती है।
- असमय जिम्मेदारी के कारण मानसिक विकास अवरूद्ध हो जाता है।
- असुरक्षित यौन संबंधों के कारण बालिका का बार–बार गर्भधारण, कच्ची आयु में प्रसव से माता व बच्चे में कुपोषण होता है साथ ही असमय गर्भपात का सामना भी बालिका को करना पड़ता है।

- मानसिक रूप से अपरिपक्कता के कारण सामंजस्यता नहीं बैठा पाने से बालक बालिका दोनों घरेलू हिंसा के शिकार होते है।
- बचपन में किये गये बेमेल विवाह अधिकतर बड़े होने पर टूट जाते है। और तब सामाजिक मान्याताओं के चलते लड़की को नातरा बिठाना (किसी अन्य के साथ जीवन बिताना) रक्षिता बनाना जैसी क्रूर प्रथाओं का सामना करना पड़ता है।
- बाल विवाह के कारण मातृ मृत्युदर तथा शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है।

संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी यूनिसेफ की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बाल विवाह के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। 'इम्प्रूविंग चिल्ड्रेन्स लाइव्स ट्रांसफॉमिग द फ्यूचर–25 ईयर ऑफ चाइल्ड राइट्स इन साउस एशिया' में यह सच सामने आया है। इस फहरिस्त में बांग्लादेश पहले स्थान पर है। गौरतलब है कि कुछ ही समय पहले संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की हर तीसरी बालिका वधू भारत में है। यूनिसेफ की रिपोर्ट एंडिंग चाइल्ड मैरिज–प्रोगेस एंड प्रोस्पेकट' के मुताबिक भारत बाल विवाह के मामले में दुनिया के शीर्ष दस देशों में शामिल है। ऐसे में सवाल है कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए बने कड़े कानूनों और जन जागरूकता लाने वाली सरकारी योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वन में ऐसी कौन सी कमियां है जो यह कुरीति आज भी कायम है ? ऐसे में इस कुप्रथा के उन्मूलन के लिए अन्य कारणों पर विचार करना जरूरी है।

संयुक्त राष्ट्र की इस बाल सहायता संस्था (यूनिसेफ) के अनुसार दुनिया भर में आज 70 करोड़ ऐसी महिलाएं है जिनकी शादी नाबालिग आयु में हुई है। इनमें से बाल विवाह के लगभग 50 फीसदी मामले केवल दक्षिण एशिया से है। एक बड़ी संख्या में बाल विवाह का दंश झेलने वाली लडकियां भारत में बसती है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में एक तिहाई बालिका वधू भारत में रहती है। बचपन में ब्याह दिये जाने और शिक्षित होने का भी सीधा–सीधा संबंध है। यूनिसेफ के आँकड़े इस बात को और पुख्ता करते है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दसवीं तक पढ़ी लड़कियों की तुलना में कम शिक्षित लडकियों की शादी हाने की संभावना 5.5 फीसदी अधिक होती है। हमारे देश में भी साक्षरता का प्रतिशत जहां अधिक है, वहां बाल विवाह कम होते है। भारत में केरल में चाइल्ड मैरिजेज का प्रतिशत सबसे कम है जबकि राजस्थान पहले नंबर पर है।

कच्ची उम्र में विवाह के बंधन में बांध दिए जाने वाले बच्चों को जीवन कितना तकलीफों भरा हो सकता है यह समझना किसी के लिए भी मुश्किल नही। यहां तक कि उन अभिभावकों के लिए भी नहीं जो खुद इन मासूमों को नवदंपत्ति के रूप में आशीर्वाद देते हैं। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि जो अभिभावक अपने बच्चों का बाल विवाह करवा देते हैं उनमें जागरूकता की कमी है या वे अशिक्षित होते है। बाल विवाह जैसी कुरीति के विषय में अधिकतर यही तक बात होती है कि गांवों के लोगों में जनचेतना की कमी है, लोग अशिक्षित है और यह नहीं समझते कि बाल विवाह यानी बचपन में बनने वाले इस रिश्ते का उनके मासूम बच्चों के

जवीन पर क्या प्रभाव होगा ? बाल विवाह जैसी कुरीति के चलते बेटियों की सेहत व शिक्षा दोनों प्रभावित होते है। उनकी पढ़ाई छूट जाती है। घरेलू हिंसा और कम उम्र में मां बनने के चलते वे कई मानसिक और शारीरिक रोगों से घिर जाती है परिणाम सबसे सामने है। फिर भी यह कुप्रथा अपनी जड़े जमाये है। आखिर क्यों ?

दरअसल आज के दौर में हकीकत इसके विपरीत है। दूर–दराज के गांवों में माता–पिता दोनों जागरूक हैं और यह भी भली भांति जानते–समझते है कि बाल विवाह जैसी कुरीति उनके बच्चों का बचपन और जीवन दोनों ही छीन लेती है। खुद सात साल की उम्र में ब्याही गई किसी मां से ज्यादा इस बात को कौन समझ सकता है कि कम उम्र में गृहस्थी संभालने की तकलीफें क्या होती है ? फिर भी वह खुश होती है कि उसकी बेटी का घर–द्वार जल्द से जल्द बस जाएगा और वह बेटी के ब्याह की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी। सवाल है कि सब कुछ जानते समझते हुए भी देश के कई हिस्सों में बाल विवाह जैसी कुरीति आज भी क्यों जारी है ? आज भी बच्चों के अभिभावक ऐसा निर्णय क्यों लेते है जिसके दुखद परिणामों से वे वाकिफ है।

वास्तव में बच्चों से उनका बचपन छीन लेने वाली इस कुरीति के पीछे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों की लंबी फेहरिस्त है। किसी के पास देने के लिए दहेज नहीं तो किसी की सामाजिक हैसियत इतनी कम है कि बेटी को उसे दबंगों की बुरी नजर से बचाने के लिए कम उम्र में ब्याह देना ही एकमात्र विकल्प लगता है। कोई बेटे का ब्याह कम उम्र में इसलिए करना चाहता है क्योंकि भय होता है कि कुछ साल शायद उसे दुल्हन न मिल पाए।

कहने का आशय यही है कि जागरूकता की कमी एक कारण हो सकता है पर इससे बड़े कई दूसरे कारण है जिसके चलते कानून आते–जाते रहते है पर यह कुप्रथा जस की तस अपनी जड़े जमाये हुए है। हकीकत यह है कि आज बाल विवाह के साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बेमेल शादियों जैसी कुरीतियां और जुड़ गई है, नतीजतन यह कुप्रथा और भी ज्यादा विकृत हो चली है।

बाल विवाह के लिए अशिक्षा और जागरूकता की कमी से ज्यादा बड़े कारण दहेज, गरीबी और सामाजिक असुरक्षा है। इसीलिए समग्र रूप से बाल विवाह जैसी कुरीति मिटाने के लिए इन सारे कारणों पर विचार करना जरूरी है। सामाजिक मान्यता और स्वीकार्यता के बिना कोई कानून काम नहीं कर सकता। जब तक सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की परिस्थितियां समाज के हर व्यक्ति के हिस्से नहीं आयेगी ऐसी कुरीतियां फलती–फूलती रहेगी।

इस प्रकार भारत के विभिन्न राज्यों से एकत्रित आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं अधिकांश बाल विवाह ग्रामीण समाजों में ही होते हैं। आधुनिक, नवीन प्रवृत्तियाँ, नयी सकारात्मक सोच, उच्च वैचारिक चिंतन आदि के अभाव का मुख्य कारण ग्रामीणों का अशिक्षित होना है। नयी शिक्षा प्रणाली द्वारा हम वास्तविक विकास की सर्वकालिक एवं स्थायी अवधारणा गढ़े जाने के निरंतर प्रयत्न जारी हैं जिससे देशज और स्थानीय मूल्य जो, पाश्चात्य सभ्यता द्वारा विस्थापित किये जा चुके हैं की स्थापना की जाये और प्रत्येक समाज को अपनी एक नवीन दृष्टि दी जाये

जिससे वह समाज अपनी जड़ो और परम्पराओं से तो जुडा रहे लेकिन ओढ़ी हुई निरर्थक मान्यताओं को निकाल फेंके तथा सही अर्थों में समाज की प्रगति में सबकी सहमति और सहभागिता के लिये स्वयं को तैयार करे।

बाल विवाह जैसी कुरीति को दूर करने के लिये पूर्णतः समाप्त करने के लिये प्रत्येक पंक्ति के व्यक्ति को जागृत करना होगा जिससे वैचारिक धरातल पर बहुमत में जागरण होगा और इसी जागरण से एक जन आंदोलन खड़ा होगा तथा यही जन आंदोलन इस कुरीति की सामाजिक मान्यता समाप्त करेगा तभी संपूर्ण देश बाल विवाह के दुष्परिणामों से मुक्त हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ

1 यादव, के.पी.ए 2006 : *'चाइल्ड मैरिज इन इंडिया,* अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।

2 अन्सारी, जेड.एच. एवं नीलिमा के., 2003 : *'चाइल्ड ऐब्जुजेस अमंग अबरन स्लम्स, सोसल चेन्ज*', बॉल्यूम 18 (4) दिसम्बर।

3 श्रीवास्तव, के, 1983 : *सोशियो–इकोनोमिक डिटरमिनेंट्स ऑफ चाइल्स मैरिज इन उत्तर प्रदेश,* डेमोग्राफी इन इंडिया, नई दिल्ली।